न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 147 सन 2019

अनवान :–

1. कृष्णलाल 2. प्रेमकुमार 3 भालसिह पि0 गोविन्दराम जाति नायक निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता सायल
श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 12/03/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायल न. 2 ता 7 के दादा व गैरसायल न0 1 के पिता मोटाराम पुत्र रामूराम की रोही मौजा रायसिहपुरा के साबिका खसरा न0 26 मीन में 12 बीधा , 26 मीन में 12.06 बीधा साबिका खसरा न0 50 की 12.06 बीधा 7 बिश्वा गै0मु0 कुल 24.09 बीधा गै0मु0 7 बिश्वा कुल 24.16 बीधा भूमि थी।

साबिका खसरा न0 50 मीन के हाल खसरा न0 5 की 16.15 बीधा खसरा न0 15 में 4. 02 बीधा साबिका खसरा न0 26 मीन का नया खसरा न0 255 में 24.09 बीधा में परिर्वतन होकर पैमुद हुई

मोटाराम की मृत्यू के बाद उक्त भूमि रोही मोजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 28/27 की कुल 9.5100हैक में उनके पुत्र कुरडाराम व चिमनाराम पर औद हुई इसलिये पैतृक भूमि है पैतृक भूमि में पुत्र व पुत्रीयाों का जन्म से हक हिस्सा होता है इसलिये वाद भूमि में सायलान एवं गैरसायल न0 2 ता 7 का गैरसायल न0 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

गैरसायल संख्या 1 व सायलान की माता दर्शनसिह दावा में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ रहते है प्रतिवादी संख्या 3 तथा सायलान मिर्जावाली मेर में रह कर खेती करते है एवं सायल संख्या 3 भालसिह अपने गांव रायसिहपुरा में उसी घर में अलग रहता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 भादरा में रहकर काम करता है तथा माता पिता की हारी बिमारी के समय देखभाल करते है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के प्रभाव में आकर भूमि बैक के रहन रख दी है एवं वाद भूमि को अन्य को बेचान कर सकते है इसलिये सायलान गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन बैय ना करे एव ना ही रहन के पैसे बैकर से निकाले ना ही रहन का कोई भुगतान बैक करे ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे की रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 28/27 की कुल 9.5100हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे एवं गैरसायल न0 1 उसके केसीसी खाता में जमा राशि नही उठावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की गैरसायल न0 1 ने स्वय अपनी भूमि सभांल रहा है तथा स्वय ही काश्त करता है और अलग से निवास करता है किसी के भी कहने सुनने में नही है तथा गैरसायल न0 1 को घर से निकाल रखा है व अलग निवास करता है मनगढत तथ्य अंकित कर कृषि भूमि हडप करना चाहते है गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये गैरसायल न0 1 को किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है तथा गैरसायल न0 1 स्वय ही अपने पैसे बेक से निकालता है व अपने हक हिस्सा के पैसे बैक से निकालने के लिये स्वतन्त्र है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में सायलान के दादा /पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद गैरसायल न0 1 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सायलान एवं गैरसायलान न0 2 ता 7 को गैरसायल न0 1 के साथ जन्म से बराबर का हक हिस्सा है।

वर्तमान में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जो दावा में प्रतिवादी संख्या 3 के बहकावे /कहने में है इसलिये गैरसायल न0. 1 ने वाद भूमि बैक के रहन रख दी है रूपये बैक से निकलवा लिये है और प्रतिवादी संख्या 2 के लडके सतपाल का सयुक्त खाता खुलवा कर लेने देन का अधिकार दे रखा है गैरसायल का बैक से रूपये नही निकालने हेतु कहा और कहा की आपकों रूपयो की जरूरत है तो हम दे देगे किन्तु गैरसायल न0 1 नही माना।

वर्तमान में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वह सायलान के हकों को नुकसान पहुचानें की नियत से कभी भी रहन बेय कर सकता है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायल न0 1 का पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वाद भूमि को अन्य रहन बेय नही करे एव ना ही बैक से रूपये निकलवाये रिकार्ड एव मौका की यथास्थिति बनाये रखे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायल न0 1 ने स्वय अपनी भूमि सभांल रहा है तथा स्वय ही काश्त करता है और अलग से निवास करता है किसी के भी कहने सुनने में नही है तथा गैरसायल न0 1 को घर से निकाल रखा है व अलग निवास करता है मनगढत तथ्य अंकित कर कृषि भूमि हडप करना चाहते है गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये गैरसायल न0 1 को किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है तथा गैरसायल न0 1 स्वय ही अपने पैसे बेक से निकालता है व अपने हक हिस्सा के पैसे बैक से निकालने के लिये स्वतन्त्र है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो पूर्व में सायलान के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी अर्थात विरास्तन से वाद भूमि गैरसायलान के नाम से दर्ज होनी प्रतित होती है जो साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद में तय होना है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार गैरसायल न0 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को बैक के रहन रखा गया है या नही स्पष्ट नही है ना ही सायलान ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे वाद भूमि बैक के रहन है या नही मात्र कथनों के आधार पर भूमि बैक के रहन रखा जाना नही माना जा सकता है। गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो जमाबन्दी में दर्ज है वह अपने हक हिस्सा की भूमि को बैक के रहन रखने का अधिकारी है।

वर्तमान में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण वह कभी भी वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार मुन्तकिल कर सकता है वाद में सायलान /गैरसायलान के हकों का निर्धारण होने से पूर्व यदि भूमि का हस्तांतरण होता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति हो सकती है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान के पक्ष में साबित होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 05.12.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)